जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक 16.05.2025

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 12,000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 14.05.2025 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 संतकबीरनगर के द्वारा 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व पत्येक को 6000-6000 रु0 (कुल 12,000रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 518/2004 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. शानुल बंजारा पुत्र कटारी बंजारा निवासी जमुअर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 2. शमसेर बंजारा पुत्र टिकोरी निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट के अपराध में जेल में बितायी अवधि व प्रत्येक को 6000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 16.05.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता पंकज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 नेबूलाल निवासी चौक बाजार थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 105/2018 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त पंकज कुमार गुप्ता को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 16.05.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) / एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता विसातू उर्फ मेंहदी हसन कसाई पुत्र कल्लन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 205/2001 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त उपरोक्त को धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से भुगतना होगा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 186 वाहनों से 1,75,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 150 वाहनों से 1,75,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।